अति महत्वपूर्ण

संख्या–1897 / 60–3–2017–38(सा0) / 2017

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 दिनांकः लखनऊः 20 सितम्बर, 2017

विषयः–समस्त जनपदों में 181–महिला हेल्पलाइन स्कीम के अन्तर्गत संचालित रेस्क्यू वैन के लिये समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1116 / 60–3–2017–38(सा0) / 2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–1791 / 60–3–2017–38(सा0) / 2017, दिनांक 31.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें समस्त जनपदों में 181–महिला हेल्प लाइन स्कीम के माध्यम से योजित रेस्क्यू वैन के संचालन एवं मॉनिटीरिंग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि समस्त जनपदों में संचालित 181 महिला रेस्क्यू वैन का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को तत्काल सुरक्षा देते हुये आवश्यक चिकित्सीय एवं पुलिस सेवायें प्रदान करना है। ऐसी महिला एवं बालिका जो विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको किसी भी अन्य प्रकार की समस्या हो तो वह 181 टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती है।

3. उक्त रेस्क्यू वाहन जी0पी0एस0 सिस्टम से युक्त है एवं उसकी लोकेशन जी0वी0के0–ई0एम0आर0आई0 द्वारा प्रबन्धित वेबसाइट के यू0आर0एल0 के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है। जी0पी0एस0 के माध्यम से रेस्क्यू वैन की लोकेशन ट्रैक किये जाने हेतु निम्नलिखित लिंक तथा यू0आर0एल0 निम्नवत है। इन्टरनेट ब्राउजर ऑन करें और नीचे दिये हुये यू0आर0एल0 को टाइप करें।

http://up181.glovision.co:8080/track/Track

4. 181 महिला हेल्प लाइन के कुशल संचालन हेतु रेस्क्यू वैन एवं उसके सुगमकर्ता सभी जनपदों को उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका कार्य 24X7 रेस्क्यू सेवायें प्रदान करना है। उक्त रेस्क्यू वैन के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान महिला आरक्षी का होना

आवश्यक है क्योंकि यह सेवायें 24X7 हैं, इसलिये तीन शिफ्ट में 06 महिला आरक्षी की तैनाती रेस्क्यू वैन के संचालन के लिये आवश्यक है। पूर्व में रेस्क्यू वैन के लिये योजित कार्मिकों के अन्तर्गत महिला आरक्षी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।

5. प्रदेश में अवस्थित समस्त थाना के थानाध्यक्षों को उक्त योजना के उद्देश्यो से भलीभांति जागरूक एवं संवेदित करने हेतु निर्देशित किया जाना भी आवश्यक है, जिससे कि इस योजना का सम्यक एवं ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

इस सम्बन्ध में कृपया उपरोक्तानुसार समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–1897 (1)/60–3–2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी0वी0के0–ई0एम0आर0आई0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

C-2/Desktop/Manish /Manish GO